

जोधपुर

विद्युत वितरण

निगम लि०

क्रमांक:जोधपुर डिस्कॉम/अ०अ०/पी०पी०एण्ड एम०/पत्रा०

प्रे. : ४

दिनांक 7/2/1998

आदेश

विषय:-दिनांक 29.03.1998 से 07.06.1998 तक जारी नर्सरी कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी को प्लेट रेट में परिवर्तन करने बाबत ।

- - -

मण्डल के आदेश क्रमांक:साराविम/उमुअ/प्रावि/अनु-9/प्रे-51 दिनांक 22.06.2000 (आर०ई०ओ०-207) के बिन्दु संख्या 14 एवं स्पष्टीकरण संख्या 897 दिनांक 12.07.2000 (आर०ई०ओ०-210) के अनुसार 29.03.1998 से 07.06.1998 को छोड़कर 31.03.2000 तक जारी नर्सरी श्रेणी के समस्त कनेक्शनों के जारी होने के दो साल पश्चात् विद्युत बिल साधारण श्रेणी की प्लेट रेट की दर से करने के आदेश हैं । दिनांक 29.03.1998 से 07.06.1998 तक जारी किये गये नर्सरी कनेक्शनों को उनके समकक्ष तिथि की सामान्य श्रेणी की वरियता के कृषि कनेक्शन जारी होने की तिथि से विद्युत बिल सामान्य श्रेणी की प्लेट रेट से जारी करने के आदेश हैं ।

इस सम्बन्ध में अकाल की स्थिति एवं उक्त उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि 31.03.2000 तक जारी नर्सरी श्रेणी के समस्त कनेक्शनों को उनके जारी होने के दो वर्ष पश्चात् विद्युत बिल सामान्य श्रेणी को प्लेट रेट की दर से जारी किया जावे ।



(ई० बी०के० पुरोहित)

अधीक्षण अभियन्ता (पी०पी०एण्ड एम०)

जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।